

[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

संख्या 61 /2018-सीमाशुल्क (गै.टे.)

नयी दिल्ली, दिनांक 11.07.2018 जुलाई 2018

सा. का. नि. ....(अ) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 की उप-धारा (1) के उप-वाक्य (कक) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा. का. नि. 193 (अ), दिनांक 02 अप्रैल, 1997 के तहत प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 12/97- सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनांक 02 अप्रैल, 1997 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, गुजरात राज्य से संबन्धित क्रम संख्या 4 के सामने, कॉलम (3) में मद (xiii) तथा कॉलम (3) और (4) में उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

(3)	(4)
“(xiv) ग्राम- वरनामा तालुका जिला -वडोदरा	आयातित माल को उतारना तथा निर्यात माल को चढ़ाना”

[फा. सं. 434/12/2017-सीमाशुल्क IV]

जबूर रियाज

(जेड आर कामिलि)

निदेशक (सीमाशुल्क)

टिप्पणी : प्रधान अधिसूचना स. 12/97-सीमा शुल्क (गै.टे.), दिनांक 2 अप्रैल, 1997 सा.का.नि. 193 (अ), दिनांक 2 अप्रैल, 1997 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड (3), उपखण्ड (i) में प्रकाशित की गयी और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 2/2018- सीमा शुल्क (गै.टे.), दिनांक 5 जनवरी, 2018, सा.का.नि. 13 (अ), दिनांक 5 जनवरी, 2018 के तहत प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया है।